सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 97 राँची, गुरूवार

8 माघ, 1937 (श0)

28 जनवरी, 2016 (ई0)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी, 2016

संख्या–एल०जी०–02/2012–01/लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक–08/01/2016 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाषित किया जाता है।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संषोधन) अधिनियम, 2015

(झारखण्ड अधिनियम, 01, 2016)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–20 के लिये निर्धारित राज्य राजकोषीय समेकित नीति के अनुरूप झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 में संषोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष मे झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संषोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने के तिथि से प्रभावी होगा।

2. **झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन।**

(i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिषत तक तथा वित्तीय वर्ष 2017–18,2018–19 तथा 2019–20 के लिए 3.25 प्रतिषत तक सीमित रखना।"

राज्य की बिजली वितरण कम्पनी (DISCOM) के वित्तीय पुनरूद्धार तथा उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना UDAY के तहत् खुले बाजार से वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में लिये गये उधार उपरोक्त शर्त्तो के परे होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

बी0 बी0 मंगलमूर्ति

प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाषित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 97–50 ।

———————

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाषित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 97—50 ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 257 — 20 वैशाख, 1929 शकाब्द

राँची, वृहस्पतिवार 10 मई, 2007

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

10 मई, 2007

संख्या एल०जी०–12/2006–30/लेज०1–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 30. अप्रैल, 2007 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007
[झारखण्ड अधिनियम 07, 2007]

राजकोषीय प्रबंधन में दूरदर्शिता सुनिश्चित करने, राजस्व घाटे का कर्मिक विलोपन, वित्तीय स्थायित्व के साथ ऋण प्रबंधन को उत्साहित करने, सरकार के वित्तीय कार्यो में पारदर्शिता लाने तथा मध्यावधि ढाँचे के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था को लागू करने तथा इससे संबंधित विषयों पर अधिनियम ।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में झारखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोष उतरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा,

(iii) यह अधिनियम उप तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा जिसे राज्य सरकार राजजपत्र में अधिसूचित कर निर्धारित करे ।

2. परिभाषाएँ–

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) 'बजट' से अभिप्रेत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (i) के अधीन राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक आय–व्ययक,

(ii) 'चालू वर्ष' से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना प्रस्तुत किया जा रहा है,

(iii) 'वित्तीय वर्ष' से अभिप्रेत है अप्रैल, 1 से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के मार्च 31 को समाप्त होने वाला वर्ष,

(iv) 'राजकोषीय घाटा' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की संचित निधि में कुल जमा (ऋण जमा को छोड़कर) से अधिक होने वाला, ऋण के पुनर्भुगतान को, छोड़कर सकल व्यय,

(v) 'राजकोषीय संकेत' से अभिप्रेत है ऐसा मान जो राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए विहित किया जाय यथा संख्यात्मक अधिसीमा एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का समानुपात,

(vi) 'गैर ब्याज वचनबद्ध राजस्व व्यय' से अभिप्रेत है राज्य के संचित निधि के राजस्व लेखे में राज्य के वेतन एवं पेंशन व्यय का योग,

(vii) 'बजटयेत्तर उधार' से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा उसका एजेंसी का उधार जो आय–व्ययक में प्रदर्शित नहीं होता है ।

(viii) 'विहित' से अभिप्रेत है इस विधेयक के तहत निर्मित नियमों द्वारा विहित,

(ix) 'पूर्ववर्त्ती वर्ष' से अभिप्रेत है चालू वर्ष से पूर्व का वर्ष,

(x) 'प्राथमिक घाटा/बचत' से अभिप्रेत है ब्याज रहित राजकोषीय घाटा/बचत,

(xi) 'रिजर्व बैंक' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्ब बैंक अधिनियम, 1934 के धीन स्थापित भारतीय रिजर्ब बैंक,

(xii) 'राजस्व घाटा' से अभिप्रेत है राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व ब्यय के बीच का अन्तर जो बिना राज्य सरकार के आस्तियों में तदनुसार बढ़ोत्तरी के राज्य सरकार की देनदारियों में विद्धि को दशार्ता है एवं

(xiii) 'कुल देनदारियों' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य की संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा के तहत आने वाली देनदारियाँ ।

3. विधान–सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाली मध्यावधि राजकोषीय नीति–

(1) राज्य विधान सभा के समक्ष राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय–व्ययक के साथ मध्यावधि राजकोषीय योजना प्रस्तुत करेंगे,

(2) मध्यावधि राजकोषीय योजना अन्तर्निहित पूर्वानुमानों के स्पष्ट निरूपण के साथ विहित राजकोषीय संकेतकों के लिए एक तीन वर्षीय घूर्णन लक्ष्य निर्धारित करेगा ।

(3) मध्यावधि राजकोषीय योजना में विशेषतः उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण शामिल किया जायेगा :–

   (i) राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों के बीच संतुलन,

   (ii) उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए बाजार से ऋण सहित पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग,

   (iii) राज्य सरकार का मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य,

(iv) पूर्व में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध गत वर्ष के राजकोषीय संकेतकों के कार्यकलापो का मूल्यांकन एवं संशाधित प्राक्कलन के आलोक में चालू वर्ष में अनुमानित प्रदर्शन,

(v) राजकोषीय नीति के रूप में चालू वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतिगत प्राथमिकताएँ एवं

(vi) चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय, उधार एवं अन्य देयताओं, ऋण देने एवं निवेश एवं अन्य कार्यकलापों, यथा गारंटी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियाँ जिनके लिए संभाव्य बजटीय निहितार्थ है ।

(4) मध्यावधि राजकोषीय योजना ऐसे स्वरूप में होगा जैगा कि विहित किया जाय ।

4. राजकोषीय प्रबंधन नीति–

(I) राज्य सरकार राजस्व घाटा को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटा को स्व–पोषित स्तर पर रखने हेतु समुचित उपाय करेगी तथा नीचे निर्दिष्ट उपायों के द्वारा समुचित राजस्व आधिक्य तैयार करेगी :–

(क) सरकारी ऋण को विवेकपूर्ण स्तर पर बनाए रखना,

(ख) गारंटी एवं अन्य संभाव्यदेयताओं का विवेकपूर्व प्रबंध, विशेष रूप से ऐसे देयताओं के जाखिम स्तर के संदर्भ में,

(ग) भावी पीढ़ी पर वित्तीय प्रभावों को दृष्टपथ में रखते हुए राज्य सरकार के नीति का निर्धारण,

(घ) उधार उत्पादक कार्यो एवं पूँजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु लिए जाएँ न कि चालू व्यय के वहन के लिए,

(ड़) कर बोझ के संदर्भ में एक न्यायसंगत स्थायित्व एवं पूर्वानुमान को बनाए रखना,

(च) कर प्रणाली की निष्पक्षता एवं स्थायित्व को बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन, रियायतें तथा कर विमुक्ति प्रदान करने से बचना,

(छ) आर्थिक क्षमता एवं अनुपालन लागत को ध्यान में रखते हुए कर नीतियों को लागू करना

(ज) लागत वसूली एवं साम्यता का ध्यान रखते हुए गैर–कर राजस्व नीतियों का अनुशरण,

(झ) ऐसी व्यय नीतियों का अनुशरण जो आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करे,

(ञ) पूँजी निमार्ण एवं उत्पादक खर्चो के उपयोगके लिए राजस्व आधिक्य का निर्माण,

(ट) सरकार के भौतिक परिसम्पत्तियों का उचित रख–रखव,

(ठ) लोक समीक्षार्थ राजकोषीय नीति के प्रयोजन तथा लोक वित्त की स्थिति के बारे में पर्याप्त सूचना देना,

(ड) सरकारी संसाधनों का इस तरह उपयोग में लाना जो मुद्रा का सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करे साथ ही सरकारी परिसम्पत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग,

(ढ) सार्वजनिक परिसम्पत्तियाँ एवं सेवाएँ प्रदान करने वाले लोक उपक्रमों एवं लोक सेवाओं को संचालन में राजकोषीय जोखिम को न्यूनतम किया जाना,

(ण) व्यय को उगाहित राजस्व के स्तर पर बनाए रखना,

(त) सामान्य आर्थिक परिदृश्य एवं वास्तविक राजस्व दृष्टिकोण को उचित महत्व देते हुए वास्तविक एवं वस्तुनिष्ठ बजट का निर्माण किया जाना तथा वर्ष के अंतर्गत इसमें विचलन को न्यूनतम करना, एवं

(थ) साधन एवं स्रोत की सीमा में अंतशेष को रखने हेतु नकदी प्रबंध व्यवस्था के संदर्भ में उचित उपाय किया जाना जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक से बार–बार ओभरड्राफ्ट की स्थिति उत्पन्न न हो तथा नगदी अंश शेष वर्षवार धीरे–धीरे कम किया जा सके ।

5. राजकोषीय प्रबंधन लक्ष्य–

(i) विशेषतः और पूर्ववर्त्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार इसे सुनिश्चित करेंगी :–

(क) दिनांक 31 मार्च, 2009 की समाप्ति पर राजस्व घाटे को घटाकर ष्शून्य करना,

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2009 की समाप्ति पर राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अधिकतम तीन प्रतिशत तक कम करना,

(ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निर्दिष्ट प्रतिशत की दर से कम करना ताकि उप कंडिका (ख) में निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सके,

(घ) 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत से अधिक बचत तैयार करना,

(ड़) अन्य महत्वपूर्ण अनुश्रवणीय राजकोषीय लक्ष्य निम्नवत् होंगे–

(i) 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व के अनुपात में वेतन के प्रतिशत को कम करते हुए 80 प्रतिशत तक लाया जाना,

(ii) 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व और समादेशित राजस्व के अनुपात में गैर ब्याज वचनबद्ध राजस्व व्यय को 55 प्रतिशत तक लाया जाना, तथा

(iii) 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व घाटा के अनुपात को 0 प्रतिशत तक लाना ।

(च) ऋण में स्वपोषित स्तर पर लाने हेतु ब्याज अदायगियों को राजस्व प्राप्तियों का 18 से 25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना ।

(छ) वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्त तक राज्य के कुल ऋणण राज्य के कुल प्राप्तियों का 300 प्रतिषत तक सीमित रखा जाना होगा ।

बशर्ते जब प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य के वित्त पर अकल्पित मांग होगा तो राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा इस धारा में विनिर्दिष्ट अधिसीमा के अतिरिक्त हो सकेगा लेकिन ऊपर वर्णित कारर्णो से जो अधिक व्यय होगा वह वास्तविक वित्तीय लागत से अधिक नहीं होगा ।

बशर्त्ते यह भी कि प्रथम परन्तुक में उल्लिखित जिन विशिष्ट उद्देश्य/उद्देश्यों के कारण राजकोषीय घाटा वृद्धि होने की संभावना है तथा घाटा की निर्दिष्ट अधिसीमा से अधिक होने में इससे संबंधित प्रतिवेदन कारण आदि विधान–सभा के पटल पर यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाना है ।

6. राजकोषीय कार्यो में पारदर्शिता हेतु योजना–

(i) राज्य सरकार सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय कार्यो में अधिकाधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में जहाँ तक संभव हो गोपनीयता को कम करने के लिए उपर्युक्त उपाय करेगी परन्तु, राज्य सरकार के पास यह शक्ति रहेगी कि किसी भी उस तथ्य की गोपनीयता बनायी रखी जाय जिसे सार्वजनिक करने पर राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ii) राज्य सरकार बजट के प्रस्तुतिकरण के समय लेखाकरण, मानकों, नीतियों एवं संव्यवहारों में वैसे उल्लेखनीय परिवर्त्तनों एवं राजकोषीय संकेतको की गणना पर प्रभाव डालने वाली या संभाव्य रूप में प्रभाव डालने वाली नीतियों और संव्यवहारों के संबंध में एक विवरणी प्रकाषित करेगी।

(iii) 'बजट एक झलक' में सभी मांगो के संदर्भ में एक समेकित स्थिति प्रदर्षित की जायेगी ।

(iv) अगले दस वर्षो के लिए अनुमानित वार्षिक पेंषन दायित्वों की गणना वास्तविक आधार पर की जायेगी।

(v) वार्षिक बजट में सम्मिलित किए जाने वाले नई नीतियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

(vi) बजट की सूचना इस रूप में प्रस्तुत की जायगी जो नीति विष्लेषण एव दायित्व निर्वहन को बढ़ावा देने में सहायक हो ।

(vii) राजस्व बकाए (कर और गैर–कर राजस्व दोनों) के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्ति बजट के अनुलग्नक के रूप में अलग से प्रस्तुत की जायगी ।

(viii) निधि का आवंटन इस प्राथमिकता के आधार पर किया जायगा ताकि चालू योजनाओं को निर्धारित समयनुसार पूरा किया जाना सुनिष्चित हो सके। राज्य सरकार शून्य आधारित निवेष समीक्षा से संबंधित परियोजनाओं, इनके समाप्ति की निर्धारित तिथि एवं पूर्ववर्त्ती वर्षो में विचलन के कारणो, यदि कोई हो, की सूची प्रस्तुत करेगी ।

(ix) वह विवरणी, जिसमें संस्थावार राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी, संबंधित संस्था द्वारा ऋण अदा करने में असमर्थता एवं दी गयी गारंटी के तहत राज्य सरकार द्वारा ऋण अदायगी के उत्तरदायित्व के संबंध में विवरणी हो, राज्य विधान सभा में सरकार द्वारा उपस्थापित की जायेगी । इस विवरणी में सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी समिति/षहरी स्थानीय निकायों द्वारा खोला गया एस्कोव खाता आदि को भी दर्षाया जायेगा ।

(x) बजट के साथ सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मियों की संख्या एवं उनके वेतनादि के संबंध में एक विषेष विवरणी प्रस्तुत किया जायेगा ।

(xi) बजट दस्तावेज में एक वित्तीय वर्ष में कर छूट एवं विमुक्ति से संबंधित विवरण होगा ।

(xii) राज्य सरकार ऋण एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में पूर्व सूचना प्रकाषित करेगी। ऋण से संबंधित सूचना में परिवक्वता एवं ब्याज दर का उल्लेख रहेगा ।

(xiii) बजट के कार्यान्वयन तथा वित्तीय लक्ष्यों/संकेतकों के प्राप्ति के संबंध में एक प्रतिवेदन विधान मंडल में प्रस्तु किया जायेगा ।

7. वार्षिक बजट में दायित्वों का विवरण :–

(I) चालू वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार निम्न मदों पर विलम्बित देनदारियों का एक विवरण प्रस्तुत करेगी :–

(i) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में निर्धारित अंषदान का प्रावधान नहीं किया जाना तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद में घाटा ।

(ii) कोषागारों में प्रस्तुत विपत्र का नदगीकरण विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं होना ।

(iii) प्राप्त केन्द्रीय सहायता का किसी खास वित्तीय वर्ष के अंत तक उपयोग नहीं होना ।

(iv) सिविल डिपोजिट से पड़ी अव्ययियित राषि।

8. अनुपालन हेतु कार्रवाई –

(1) वार्षिक बजट एवं बजट के समय घोषित नीतियाँ, आनेवाले वर्षो के मध्यावधि राजकोषीय योजना के उद्देष्यों एवं लक्ष्यों के अनुकूल होना चाहिए ।

(2) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, बजट के संदर्भ में प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों तथा बजट में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले अपेक्षित उपचारात्मक उपायों का पुनर्विलोकन करेंगे ।

(3) राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीति निर्णयों के अनुसार यदि किसी वर्ष राज्य के राजस्व में घाटा होता है, तो सरकार द्वारा उक्त घाटे को अगले वर्ष या आने वाले अगले वर्षो में सामंजित किया जायेगा या इस राजस्व घाटे के सामंजित करने के लिए राजस्व प्राप्ति की सकल राषि की वृद्धि के लिए कोई अन्य निर्णय लिया जा सकेगा या उपर्युक्त दोनो पद्धतियों को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जा सकेगा । बषर्त्ते कि इस उप धारा के कोई प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के तहत राज्य के संचित निधि पर भारित व्यय पर लागू नहीं होंगे ।

(4) राज्य सरकार के वित्त पर आकलित मांगो के कारण जब राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ जायेगा तब सरकार आपदाओं पर होने वाले शुद्ध राजकोषीय व्यय को चिन्हित करेगी तथा ऐसा व्यय विनिर्दिष्ट सीमा के अनुपालन के विस्तार पर रोक लगा सकेगी ।

(5) जब कभी भी ऐस अनुपूरक अनुमान विधान–सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा, राज्य सरकार व्यय में तदनुसार कटौती करने संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करेगा ताकि चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना के उद्देष्यों के मद्देनजर अनुपूरक अनुमानों का वित्तीय प्रभावपूर्णता निष्प्रभावी हो सके ।

(6) सरकार के वित्त विभाग की अनुमति के बिना वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से इतर कोई भी देनदारी सृजित नहीं की जायगी । इस तरह से सृजित अनधिकृत देनदारी पूर्णतः लापरवाही समझा जायेगा और ऐसे सृजित देनदारी के संबंधित पदाधिकारी (पदाधिकारियों) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

9. नियम बनाने की शक्ति –

(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचित कर इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नियमों का निर्माण कर सकती है ।

(2) विषेषतः और पूर्ववर्त्ती अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्न विषयों में से एक अथवा सभी के संदर्भ में बनाया जा सकेगा ।

(क) धारा–3 की उपधारा–(2) के निमित्त राजकोषीय संकेतकों को विहित किया जाना,

(ख) धारा–3 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति योजना तथा धारा–3 के उपधारा–(3) के खण्ड V के अंतर्गत राजकोषीय नीति रणनीति का विवरण के कारण,

(ग) धारा–6 की उपधारा–(ii) के तहत विवरण के प्रकार, तथा

(घ) कोई अन्य विषय जो अधिनियम के प्रावधानों के सुसंगत नहीं ।

10. नियमों का उपस्थापन–

अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम को विधान–सभा के समक्ष यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा, जब विधान–सभा का सत्र चालू हो, सत्रावसान के पूर्व अथवा सत्र के ठीक बाद ।

11. सदाषयता में किये गये कार्यों के लिए बचाव –

राज्य सरकार या उनके पदाधिकारी पर किसी प्रकार के वाद, अभियोजन तथा अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जायगी यदि उक्त विधेयक के तहत कोई भी कार्य सदाषयता से किया गया हो या इस अधिनियम के अंतर्गत निहित नियमों के अन्तर्गत हो ।

12. विधि के विरूद्ध न होने का प्रावधान –

इस अधिनियम के प्रावधान, वर्त्तमान में प्रभावी किसी विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके विरूद्ध होंगे ।

13. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति –

(1) यदि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधो को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो सरकारी गजट में आदेष के माध्यम से ऐसा नियम बना सकती है जो इस कठिनाई को दूर करने हेतु आवष्यक हो बषर्त्ते कि ऐसा नियम इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो,

बशर्त्ते कि इस अधिनियम के लागू होने के दो वर्षों के बाद इस धारा के तहत कोई आदेष निर्गत नहीं किया जा सकेगा ।

(2) इस धारा के अंतर्गत गठित प्रत्येक आदेष को विधान–सभा के समक्ष यथाषीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेष से,

प्रषान्त कुमार,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्षी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।